203

**बिहार सरकार**
**खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग**

**आदेश**

पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना द्वारा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन कार्यरत श्री राजेश कुमार भगत (कोटि क्रमांक–406/2024), तत्कालीन प्रखंड आपूर्ति निरीक्षक, विद्यापतिनगर, समस्तीपुर के विरूद्ध निगरानी थाना काण्ड संख्या–023/2026 दिनांक–23.02.2026 दर्ज होने तथा इस क्रम में निगरानी धावा–दल द्वारा दिनांक–24.02.2026 को परिवादी से 10,000/– (दस हजार) रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजे जाने संबंधी प्राप्त सूचना एवं गंभीर आरोप के आलोक में विभागीय आदेश ज्ञापांक–1476 दिनांक–25.03.2026 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) के नियम–9(1)(क)(ग) एवं 9(2)(क) में वर्णित प्रावधानों के तहत श्री भगत को कारा–निरोध की तिथि यथा–24.02.2026 के प्रभाव से निलंबित किया गया।

2. उल्लेखनीय है कि उप निदेशक (खाद्य), तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के कार्यालय आदेश ज्ञापांक–350 दिनांक–27.05.2026 द्वारा सूचित किया गया है कि श्री भगत द्वारा न्यायिक हिरासत से रिहा होने के उपरान्त दिनांक–21.05.2026 को इस कार्यालय में योगदान समर्पित किया गया है।

3. तद्‌लोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) के नियम–9(3)(i) में निहित प्रावधान के तहत श्री भगत द्वारा दिनांक–21.05.2026 को समर्पित योगदान को स्वीकृत करते हुए उक्त तिथि से ही इन्हें निलंबन से मुक्त किया जाता है तथा उक्त अवधि के लिए श्री भगत को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

4. आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

17/06/2026

( रवीन्द्र कुमार )
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–प्र08–गो0आ0(समस्तीपुर)–08/2026 3208 /खाद्य, पटना/दिनांक 17/06/2026

प्रतिलिपि–1. आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. उप निदेशक (खाद्य), तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4. जिला आपूर्ति पदाधिकारी, समस्तीपुर/जिला कोषागार पदाधिकारी, समस्तीपुर/अनुमंडल पदाधिकारी, दलसिंहसराय, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5. अवर सचिव, प्रशाखा–03 एवं आई0टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु), खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6. श्री राजेश कुमार भगत (कोटि क्रमांक–406/2024), तत्कालीन प्रखंड आपूर्ति निरीक्षक, विद्यापतिनगर, समस्तीपुर सम्प्रति उप निदेशक (खाद्य) का कार्यालय, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर, मोबाईल संख्या–8678858251, E-Mail : rajeshravibhagat@gmail.com को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/06/2026

सरकार के संयुक्त सचिव।